राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र कोशलू)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–19/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
जबरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी कोशलू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.फतेसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी कोशलू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–14.5.2018

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद इस आशंय का प्रस्तुत किया गया,कि ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 167,170,174,175/3,175/4,176,177 कुल रकबा 156–12 बीधा एवं ग्राम केहराणी चारणों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 329,334/1 कुल रकबा 51–18 बीधा भूमि पैतृक व पश्तैनी आई हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का वक्त सेन्टलमेन्ट पूर्व से आदिनांक तक बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन सेन्टलमेन्ट अधिकारीयों की भूल से जबरसिंह के स्थान पर शिवदानसिंह नाम दर्ज किया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

गया। जो गलत होने के कारण शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह दर्ज किये जाने की इस्तदुआ चाही गई है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.वादी साक्ष्य में वादी जबरसिंह व प्रतिवादी फतेसिंह,स्वतंत्र गवाह आईदानराम एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोशलू श्री ठाकराराम के बयान कलमबद्व किये गये।

4.हमनें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को सुना और तहसीलदार सिणधरी की मौका रिर्पोर्ट, बयानात एवं राजस्व रिकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी समग्र जांच रिर्पोर्ट में विवादित भूमि के सहखातेदार वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वादी स्वंय के बयान व उसके पक्ष में गवाह प्रतिवादी संख्या 01 (फतेसिंह),स्वतंत्र गवाहान में श्री आईदानराम व सरपंच ग्राम पंचायत कोशलू श्री ठाकराराम ने अपने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में वादी का गलत नाम शिवदानसिंह दर्ज है। वास्तविक नाम जबरसिंह है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि वादी का वास्तविक नाम जबरसिंह है,एवं सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–वोटर कार्ड,भामाशाह कार्ड,आधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड में जबरसिंह नाम अंकित है। वादग्रस्त भूमि के सहखतोदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 है,ने विवादित भूमि के संबध में राजीनामा पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01(फतेसिंह) ने स्वीकार किया है,कि वादी मेरा भाई है और उसका वास्तविक नाम जबरसिंह है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत नाम शिवदानसिंह दायर हो रखा है। शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह नाम दुरूस्त किया जाता है,तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि वादी का वास्तविक नाम जबरसिंह है। तहसीलदार सिणधरी नें भी शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 167,170,174,175/3,175/4,176,177 कुल रकबा 156–12 बीधा एवं ग्राम केहराणी सारणों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 329,334/1 कुल रकबा 51–18 बीधा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

सहायक कलक्टर सिणधरी

Scanned by CamScanner

वादी के हिस्से की भूमि रहन हो रखी है,जो बदूस्तर रहेगी। एवं वादी द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी ऋण लिया हुआ है,वह भरनें के लिए बाध्य रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

मूलवाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र कोशलू)

पीठासीन अधिकारीः–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

<u>उनवान</u>

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
जबरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी कोशलू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.फतेसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी कोशलू तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :–19/2018
निर्णय दिनांक :–14.5.2018

वादी की ओर से **स्वंय** व प्रतिवादी की ओर से **स्वंय प्रतिवादी स.1** उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 14.5.2018 को **श्री अंजुम ताहिर सम्मा** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 167,170,174,175/3,175/4,176,177 कुल रकबा 156–12 बीधा एवं ग्राम केहराणी सारणों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 329, 334/1 कुल रकबा 51–18 बीधा **<u>भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि शिवदानसिंह के स्थान पर जबरसिंह दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते</u>** है। वादी के हिस्से की भूमि रहन हो रखी है,जो बदूस्तर रहेगी। एवं वादी द्वारा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था से ऋण लिया हुआ है,तो वह भरनें के लिए बाध्य रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख.. 14-5-18 . को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रुपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner